

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

आदेश

तन ग्राम पीपलोदा का बास पठ ह सुजाना
तहसील खण्डेला जिला सीकर राज अवस्थित
कृषि भूमि खण्ड नं० 242, 243, 244/1, 244/2
के राजस्व रिकार्ड में वाडिया का गलत दर्ज
नाम " मोठी देवी पत्नि महादेव सिंह " के स्थान
पर वास्तविक, सही व सम्मानजनक नाम
" कौशल्यादेवी पत्नि महादेव सिंह " दुरुस्त किया
जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री
जारी हो। पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर
से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो। यह निर्णय आज दिनांक 12/4/2021 को
मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्दा सहित
जारी कर शुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/4/21
(राकेश कुमार)
RAS

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(फारस्ट्रेट के खण्डेला)

